सं0-144/2015/8814/62-2-2015-2/3(16)/2015

प्रेंषक,

राम किंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0 प्र0 शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियंता,
लघु सिंचाई संबंधित प्रखण्ड।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ- दिनांक: 27 नवम्बर,2015

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में अनुदान सं-83 (एस0सी0एस0पी0) के अधीन जिला योजना में संचालित गहरी बोरिंग योजना में प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में। (जिला योजना)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग के पत्र सं0-जी-257/ल0सिं0/बजट-एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0/2015-16, दिनांक 06-11-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 30-3-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 के कृषकों के लिए प्राविधानित धनराशि रू0-178.00 लाख के सापेक्ष प्रथम छ:माही हेतु धनराशि रू0-89.00 लाख को शासनादेश सं0-1482/62-2-2015-2/3(16)/2015, दिनांक 04-6-2015 द्वारा निर्गत की जा चुकी है। इस प्रकार अवशेष धनराशि रू0-89.00 लाख (रूपया नवासी लाख मात्र) को संलग्न विवरणानुसार राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति उपर्युक्त शासनादेश सं0-1482/62-2-2015-2/3(16)/2015, दिनांक 04-6-2015 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि वर्ष 2015-16 की जिला योजनाओं के लिए जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरांत जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय मे समायोजित कर लिया जायेगा। तदनुसार संबंधित जनपदों की जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन भी प्राप्त कर लिया जायेगा।

3- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 तथा बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण के पत्र सं0-07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27-3'2015 मे प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम किंकर मिश्र)

संयुक्त सचिव।

सं0-144/2015/8814(1)/62-2-2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0 प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त अधीक्षण अभियंता, लघु सिंचाई वृत्त ।
5- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास)/जिला विकास अधिकारी।
7- सम्बन्धित सहायक अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
8- सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
9- नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/3, उ0 प्र0 शासन।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0 प्र0 शासन।
12- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
14- एन0आई0सी0 की प्रति।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सं0-144/2015/8814/62-2-2015-2/3(16)/2015, दिनांक 27 नवम्बर,2015 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत अनुदान सं0-83 के अधीन "लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-आयोजनागत-80-सामान्य-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई निर्माण कार्य योजना (जिला योजना)-27-सब्सिडी में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण:-

(लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद	गत वर्ष मे नियोजन विभाग द्वारा सूचित परिव्यय	पूर्व में बजट प्राविधान	संशोधित बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	संशोधित बजट प्राविधान के अनुसार अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1-	मथुरा	8.90	1.78	7.12	0.00	7.12
2-	मैनपुरी	3.56	1.78	1.78	0.00	1.78
3-	बरेली	7.12	1.78	3.56	0.00	3.56
4-	बदायूँ	16.02	5.34	10.68	3.56	7.12
5-	सहारनपुर	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
6-	कानपुर नगर	8.90	1.78	3.56	0.00	3.56
7-	कानपुर देहात	370.00	106.80	3.56	55.18	-51.62
8-	इटावा	3.56	1.78	3.56	0.00	3.56
9-	औरैया	85.00	24.92	60.52	14.24	46;28
10-	फर्रूखाबाद	14.24	3.56	10.68	1.78	8.90
11-	कन्नौज	5.90	1.78	3.56	0.00	3.56
12-	इलाहाबाद	17.80	5.34	12.46	3.56	8.90
13-	कौशाम्बी	8.90	1.78	7.12	0.00	7.12
14-	फतेहपुर	8.90	1.78	7.12	0.00	7.12
15-	झाँसी	8.90	1.78	7.12	0.00	7.12
16-	जालौन	17.80	5.34	12.46	3.56	8.90
17-	ललितपुर	15.00	5.34	10.68	3.56	7.12
18-	चित्रकूट	17.80	5.34	12.46	3.56	8.90
	योग-	623.64	178.00	178.00	89.00	89.00

(रूपय नवासी लाख मात्र)

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।